प्रेस विज्ञप्ति

18.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली जोनल कार्यालय ने **अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाला मामले** में आरोपी **श्रवण गुप्ता** से संबंधित **16. 57 करोड़ रुपए कीमत की अचल संपत्तियां** अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियां दिल्ली के एक शानदार इलाके में स्थित भूमि/फार्महाउसों के रूप में हैं। इससे पूर्व ईडी ने वर्ष 2022 में अनंतिम कुर्की आदेश के तहत आरोपी श्रवण गुप्ता और उनकी पत्नी से संबंधित 4.05 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी।

आरोपी श्रवण गुप्ता को मैसर्स नैटिल ओवरसीज इंक, स्विटजरलैंड; टाइमकीपर लिमिटेड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स; मैसर्स हॉल पार्क होल्डिंग्स लिमिटेड, यूनाइटेड किंगडम आदि जैसी कंपनियों से अपराध की आय प्राप्त हुई जो लाभकारी रूप से उसके स्वामित्व में हैं। अपराध की आय मॉरीशस स्थित एक शेल कंपनी से प्राप्त की गई थी, जिसे इटली के मेसर्स अगस्ता स्पा से रक्षा सौदे में रिश्वत मिली थी। ईडी ने आरोपी श्रवण गुप्ता के खिलाफ दिनांक 10.02. 2022को एक अभियोजन शिकायत भी दर्ज की थी। वर्तमान में, श्रवण गुप्ता के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही चल रही है क्योंकि वह नवंबर 2019 में देश छोड़कर भाग गया था।

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाले के मामले में आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की ।

ईडी की जांच से पता चला है कि मैसर्स अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के सौदे को अपने पक्ष में प्रभावित करने और इसके बाद भारतीय वायु सेना के अधिकारियों, नौकरशाहों और पीईपी को रिश्वत के भुगतान के लिए लेन-देन के एक जटिल जाल के तहत 70 मिलियन यूरो की रिश्वत का भुगतान किया गया था। वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए निविदा दस्तावेजों में सत्यनिष्ठा समझौते में किसी भी बिचौलिए को शामिल करने और अनुकूल निर्णय के लिए किसी भी रूप में रिश्वत का भुगतान करने से मना किया गया है।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि ट्यूनीशिया, मॉरीशस, यूके, स्विट्जरलैंड, बीवीआई और यूएई जैसे कई देशों में कंपनियों के चक्रव्यूह के माध्यम से रिश्वत को सफेद करने के लिए धन शोधन की जटिल संरचनाओं का इस्तेमाल किया गया था। अगस्ता वेस्टलैंड ने इंजीनियरिंग अनुबंधों के बहाने भारत और ट्यूनीशिया में विदेशी नागरिकों गुइडो हाश्के और कार्लो गेरोसा की कंपनियों को 28 मिलियन यूरो की रिश्वत दी । इसके अलावा, आरोपी गुइडो हाश्के और कार्लो गेरोसा की ट्यूनीशियाई कंपनी ने मॉरीशस की कंपनी को12 . 4मिलियन यूरो की रिश्वत हस्तांतरित करने के लिए दिखावटी परामर्श समझौते पर हस्ताक्षर किए ,जिसने श्रवण गुप्ता के लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनियों सहित लक्षित लाभार्थियों को रिश्वत हस्तांतरित कर भेज दी।

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाला मामले में ईडी द्वारा जांच के दौरान 1 अभियोजन शिकायत और 11पूरक अभियोजन शिकायतें माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष दायर की गई हैं। ईडी ने आरोपी श्रवण गुप्ता के खिलाफ नवीनतम कुर्की आदेश सहित 12 अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किए हैं , ,जिसमें अपराध से अर्जित 110 करोड़ रुपए की आय कुर्क की है। भारत में कुर्क की गई संपत्तियों के रूप में बैंक खाते ,म्यूचुअल फंड ,स्टॉक ,आभूषण , भूमि और आवासीय फ्लैट शामिल हैं ,जबकि विदेशी क्षेत्राधिकार में कुर्क की गई संपत्तियों में फ्रांस में बिचौलिए की आवासीय संपत्ति और यूनियन बैंकेयर प्रिवी यूबीपी एसए ,ज्यूरिख ,स्विट्जरलैंड में एक आरोपी के स्वामित्व वाला बैंक खाता शामिल है। इसके अलावा ,एक आरोपी व्यक्ति क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को संयुक्त अरब अमीरात से भारत प्रत्यर्पित किया गया था और एक अन्य आरोपी को संयुक्त अरब अमीरात से निर्वासित किया गया था।

आगे की जांच जारी है।

****